

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 141वीं बैठक दिनांक
18 मई, 2010 का कार्यवृत्त**

उपस्थिति :

- | | |
|---|---|
| 1. श्री प्रशान्त त्रिवेदी | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. श्री मुकेश कुमार मेश्राम | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 3. श्री अनिल कुमार सागर | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 4. श्री सोमेश्वर दयाल, | निदेशक, कोषागार
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 5. श्रीमती प्रभावती सिंह | अपर निदेशक, उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 6. श्री आर०एन०पाल
अपर नगर आयुक्त | प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर निगम,
लखनऊ। |
| 7. श्री सत्यवीर सिंह दलाल
सहयुक्त नियोजक | प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश। |
| 8. श्री पी०के० सिन्हा
अधीक्षण अभियन्ता | प्रतिनिधि—मुख्य अभियन्ता,
उ०प्र० जल निगम, लखनऊ। |
| 9. श्री सी०पी० शर्मा
मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक | प्रतिनिधि—आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। |
| 10. श्री एल०एस०पी०सिंह
क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी | प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 11. श्री सुरेश कुमार रावत | मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०। |
| 12. श्री गोविन्द पाण्डेय | मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०। |
| 13. श्री राम कृष्ण यादव | मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०। |

अन्य उपस्थिति :

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 14. श्रीमती संगीता सिंह | प्रभारी सचिव, ल०वि०प्रा०। |
| 15. श्री संजीव सिन्हा | अपर सचिव, ल०वि०प्रा०। |
| 16. श्री अवधेश कुमार | वित्त नियंत्रक, ल०वि०प्रा०। |
| 17. श्री एस०बी० मिश्र | संयुक्त निदेशक (भू०/वि०), ल०वि०प्रा०। |
| 18. श्री एस०एन० त्रिपाठी | मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा०। |
| 19. श्री रवि जैन | नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०। |
| 20. श्री जे०एन० रेड्डी | नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०। |

कार्यवाही:-

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं औपचारिक परिचय के उपरान्त कार्यवाही प्रारम्भ हुई तथा विभिन्न एजेन्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

- विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31.12.2009 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31.12.2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
- विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31.12.2009 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय : प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31.12.2009 की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन का अवलोकन किया गया।
- विषय संख्या : 3 प्राधिकरण का वर्ष 2009-10 का पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 का आय-व्ययक।
निर्णय : विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत आय-व्ययक 2010-11 अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या : 4 लखनऊ नगर में विकलांग विश्वविद्यालय (डा0 शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय) की स्थापना हेतु ग्राम सरोसा-भरोसा, सलेमपुर पतौरा एवं पारा की 30.3572 हे0 भूमि के भू-उपयोग को "सामुदायिक सुविधाएं (शिक्षण संस्थान)" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त ग्राम सरोसा-भरोसा, सलेमपुर पतौरा एवं पारा की 30.3572 हे0 भूमि के भू-उपयोग को "सामुदायिक सुविधाएं (शिक्षण संस्थान)" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की




धारा-13 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 5

हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत हाईटेक टाउनशिप के विस्तार (1765 एकड़) के डी.पी.आर. हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर शासनादेश सं०.2258/आठ.1.05.53 विविध/03 दिनांक 27.04.2006 द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित डी.पी.आर. समिति की संस्तुतियों को शासनादेश सं०:2872/आठ.1.07.34विविध/03 दिनांक 17 सितम्बर, 07 के क्रम में विचारार्थ।

निर्णय :

विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के उपरान्त डी०पी०आर० समिति की बैठक दिनांक 19.02.2010 में लिये गये निर्णय के क्रम में उपसमिति द्वारा दिये गये सुझावों का समायोजन करते हुए पुनरीक्षित कन्सेप्चुअल डी०पी०आर० को इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि ले-आउट की स्वीकृति उपसमिति, राजस्व विभाग एवं नगर निगम से प्राप्त होने वाली आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त ही प्रदान की जाए।

विषय संख्या : 6

प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भवन/तलपट मानचित्रों की स्वीकृति के समय लिए जाने वाले वाह्य विकास शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आय में वृद्धि के दृष्टिगत वाह्य विकास शुल्क में वृद्धि से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त स्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : 7

शासनादेश संख्या-5899/8-3-09-214 विविध/09 दिनांक 14.01.10 के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग (ई०डब्लू०एस०) एवं अल्प आय वर्ग (एल०आई०जी०) तथा अन्य आय वर्गों को अफोर्डेबिल हाउसिंग उपलब्ध कराये

Amis

8

जाने के लिए मानकों के निर्धारण की उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

शासनादेश सं0-5899/8-3-09-214 विविध/09 दिनांक 14.01.10 द्वारा प्रेषित आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्लू0एस0) एवं अल्प आय वर्ग (एल0आई0जी0) तथा अन्य आय वर्गों को अफोर्डेबिल हाउसिंग उपलब्ध कराये जाने के लिए मानकों के निर्धारण से सम्बन्धित उपविधि 2009 को यथावत अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 8

रिट याचिका संख्या-1228 (एम0बी0)/2008 सैय्यद नैय्यर अब्बास बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.08 के क्रम में भवन संख्या-108 (पुराना भवन संख्या-70) जगत नारायण रोड के भू-उपयोग को "हरित पट्टी" से "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

भवन सं0-108 (पुराना भवन संख्या-70) एवं इसके आस-पास के 14.40 हेक्टेयर क्षेत्र का भू-उपयोग "पार्क एवं खुला स्थल/हरित पट्टी (पी-1)" से "आवासीय" में, बिना भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के, परिवर्तित किये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 9

अग्नि शमन केन्द्र हेतु निःशुल्क आवंटित भूमि के पट्टा विलेख में लीज रेण्ट की धनराशि निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शासनादेश के क्रम में अग्नि शमन केन्द्र हेतु आवंटित भूमि के लिए 90 वर्षीय पट्टा रू0-1.00 वार्षिक लीज रेण्ट की दर, पूर्ण पट्टा अवधि हेतु रू0-10.00 एकमुश्त भुगतान के आधार पर आवंटित भूमि का पट्टा विलेख निष्पादित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

Ami

S.

विषय संख्या : 10

कानपुर रोड पर आलमबाग क्षेत्र में अम्बेडकर बस अड्डे के सम्मुख पैदल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु जौहर प्रोडक्शन कम्बाइन प्रा०लि० से ली गयी 218.90 वर्गमी० भूमि के बदले कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में समतुल्य मूल्य की भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्तावित आलमबाग बस अड्डे के सम्मुख पैदल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु जौहर प्रोडक्शन कम्बाइन प्रा०लि० से ली गयी 218.90 वर्गमी० भूमि के बदले कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में समतुल्य मूल्य की भूमि नियमानुसार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 11

विराम खण्ड के व्यावसायिक भूखण्ड सीपी-5 एवं सीपी-6 पर आवासीय उपयोग की अनुमति दिये जाने से सम्बन्धित प्रकरण पर बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त विराम खण्ड-1 के व्यावसायिक भूखण्ड सीपी-5 एवं सीपी-6 को एकल आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन की अनुमति सहित तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 12

गोमती नगर योजना फेज-2 विभूति खण्ड के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित सभागारों के आवंटन एवं किराये के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागारों के आवंटन हेतु प्रस्तुत की गई प्रस्तावित दरों एवं आवंटन के नियम तथा शर्तों को अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 13

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में सुलभ आवास योजना के अन्तर्गत आश्रय टाइप-1, आश्रय टाइप-2 व आश्रय टाइप-3 के भवनों का निर्माण।



निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदा कार्यवाही का अवलोकन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किया गया :-

1. विभिन्न योजनाओं में सुलभ आवास योजना के अन्तर्गत आश्रय टाइप-1, 2 एवं 3 के लगभग दस हजार भवनों का निर्माण कराये जाने का अनुमोदन।
2. चार मंजिलें भवनों में भी प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार प्रशासनिक व्यय एवं कन्टीजेनसी मद में 12 प्रतिशत की धनराशि लिये जाने का अनुमोदन।
3. जी+3 अफोर्डेबिल आवासीय योजना की दृष्टि से विकसित भूमि का मूल्य न्यूनतम प्लॉटिंग भूमि के आधार पर निर्धारित किये जाने का अनुमोदन।

विषय संख्या : 14

लखनऊ विकास प्राधिकरण के दैनिक वेतन भोगी/वर्कचार्ज कर्मचारियों को छठा वेतनमान के अनुरूप लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई तथा निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में शासन को भी सूचित कर दिया जाए।

विषय संख्या : 15

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 19.02.09 के विषय संख्या-11 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सामाजिक सुविधाएं, उपयोगिताएं, एवं सेवाएं (संस्थागत) के अन्तर्गत आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों के सम्बन्ध में आवंटन हेतु नियमावली 2009

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि:-

1. यदि एक ही भूखण्ड हेतु तकनीकी रूप से अर्हता पूर्ण करने वाले एक से अधिक प्रत्यावेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी दशा में पात्रता का चयन प्रत्यक्ष एवं पारदर्शी लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।



2. प्रस्तावित नियमावली को सामाजिक सुविधाएं, उपयोगिताएं, एवं सेवाएं (संस्थागत) के अन्तर्गत आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों के सम्बन्ध में आवंटन हेतु नियमावली 2010 कहा जायेगा।

विषय संख्या : 16

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-817/2010 (एम0बी0) के क्रम में भूखण्ड संख्या: बी-321 सेक्टर-बी महानगर के भू-उपयोग को "आवासीय" से "शैक्षिक, नर्सरी स्कूल" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

महानगर योजना के सेक्टर-बी स्थित भूखण्ड संख्या: बी-321 क्षेत्रफल 870.14 वर्गमीटर के भू-उपयोग को "आवासीय" से "शैक्षिक, नर्सरी स्कूल" में परिवर्तित किये जाने से संबंधित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत जनसाधारण से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 17

प्राधिकरण की रायबरेली रोड योजना के अन्तर्गत मुख्य मार्ग को पूर्व में महायोजना-2021 में हुई त्रुटि के सुधार हेतु 76.00 मीटर के स्थान पर 60.00 मीटर किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

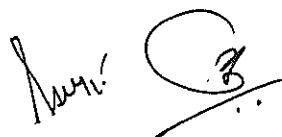
प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित लखनऊ-रायबरेली रोड योजना के मुख्य मार्ग को 76 मीटर चौड़ाई के स्थान पर एल0डी0ए0 के रोड नेटवर्क प्लान के अनुसार 60 मीटर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 18

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा लिये जाने के संबंध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।



विषय संख्या : 19

लोक प्रयोजन हेतु सामुदायिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से परगना तहसील व जिला लखनऊ के ग्राम-जियामऊ में भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नांकित अनुमोदन प्रदान किये गये:-

1. लोक प्रयोजन हेतु सामुदायिक एवं सांस्कृतिक सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से ग्राम-जियामऊ परगना तहसील लखनऊ के अन्तर्गत 2.247 हे० भूमि के अधिग्रहण की कार्योत्तर स्वीकृति।
2. परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण लागत शासन से स्वीकृति होने एवं धनराशि अवमुक्त होने की प्रत्याशा में प्राधिकरण द्वारा अपनी निधियों से भूमि अधिग्रहण हेतु अग्रिम प्रतिकर की धनराशि अपर जिलाधिकार भू०अ० को उपलब्ध कराने की कार्योत्तर स्वीकृति।

विषय संख्या : 20

लखनऊ नगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम एवं क्रीड़ा संकुल का क्रियान्वयन पी०पी०पी० मोड पर कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त परियोजना का क्रियान्वयन पी०पी०पी० मोड पर प्राधिकरण द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न आर०एफ०क्यू० डाक्यूमेन्ट का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 21

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु ग्राम-गहरू स्थित खसरा संख्या 1308 की 13.92 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को "कृषि" से "आवासीय" में परिवर्तन के संबंध में विचार।



निर्णय :

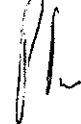
प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु ग्राम-गहरू स्थित खसरा संख्या 1308 की 13.92 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को "कृषि" से "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


(संगीता सिंह)
प्रभारी सचिव


(मुकेश कुमार मेश्राम)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित


(प्रशान्त त्रिवेदी)

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।